कार्यालय जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी आजमगढ़।

विज्ञप्ति संख्या- 6638 / व्यवस्थापन / 2021-22 दिनांक 20 फरवरी, 2021

विज्ञप्ति

आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-21017/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2021-22 दिनांक 09-01-2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-आजमगढ में वर्ष 2021-22 हेतु प्रथम चरण ई-लाटरी के पश्चात अवशेष अव्यवस्थित भॉग की 02 फुटकर दुकानों का द्वितीय चरण में ई-लाटरी प्रक्रिया से व्यवस्थापन किया जाना है। अव्यवस्थित दुकानों हेतु आवेदन पत्र दिनांक 23-02-2021 (मध्यान्ह 12 बजे) से दिनांक 26-02-2021 (सायं 05:00 बजे) तक ई-लाटरी पोर्टल **www.upexciseelottery.gov.in** पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते है। लाटरी प्रक्रिया हेतु अव्यवस्थित दुकानों का विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	दुकान का नाम	दुकान का प्रकार	प्रास्थिति	लाइसेंस फीस	हैसियत	धरोहर धनराशि
1	पल्हना	भांग	ग्रामीण	190000	190000	19000
2	ऑवक बाजार	भांग	ग्रामीण	185000	185000	18500

ई-लाटरी दिनांक 02-03-2021 को 12:30 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार, आजमगढ़ में सम्पन्न की जायेगी। अन्य विस्तृत जानकारी हेतु जनपद आजमगढ की वेबसाइट-https://azamgarh.nic.in पर अथवा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

20.2.21

(अनूप शर्मा)
जिला आबकारी अधिकारी,
आजमगढ़।

(राजेश कुमार)
जिलाधिकारी / लाइसेस प्राधिकारी
आजमगढ़।

संख्या 6639-42 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सम्पादक दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र में यथासम्भव साईज 13 से0मी0 X 13 से0मी0 (लगभग) के बाक्स में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

2- जिला सूचना अधिकारी आजमगढ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करें एवं कलेक्ट्रेट सभागार में ई-लाटरी प्रक्रिया को सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें।

3- नाजिर कलेक्ट्रेट को ई-लाटरी प्रक्रिया हेतु सभागार आरक्षित करने का कष्ट करें।

(अनूप शर्मा)
जिला आबकारी अधिकारी
आजमगढ़।